न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 82–तीन/88 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–12–87 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 26/85–86 अपील.

बाबूलाल पुत्र सूरतसिंह
निवासी ग्राम बिलोनिया
तहसील गुना जिला गुना

.....आवेदक

विरूद्ध

महिला सम्पतबाई पत्नी दीवानसिंह
निवासी रेलवे कालौनी, गुना .....अनावेदक

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–87 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बिलोनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 77 रकबा 0.042 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 78 रकबा 0.042 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 231 रकबा 0.700 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 238 रकबा 1.526 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 297 रकबा 1.641 हेक्टेयर का आधा भाग तथा सर्वे कमांक 232 रकबा 0.113 हेक्टेयर भूमि महिला कंचनबाई के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज थी । कंचनबाई की मृत्यु के उपरान्त अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार, गुना के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील

न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–6/83–84 दर्ज कर अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–85 को आदेश पारित कर प्रथम निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–12–87 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप में आवश्यकता नहीं पाते हुए द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के पक्ष में निष्पादित वसीयत कूटरचित थी, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश के पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी का दत्तक पुत्र है, इसके बावजूद भी वारिस नहीं मानने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिन पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी कंचनबाई की पुत्री है, और उसके हक में मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा भी निष्पादित किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये

जाने योग्य नहीं है कि वह मृतक भूमिस्वामी का दत्तक पुत्र है, और तहसील न्यायालय द्वारा कूटरचित वसीयतनामा के आधार से नामांतरण आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी की पुत्री है, और उसके पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा है, और भूमिस्वामी की पुत्री के रहते दत्तक पुत्र का नामांतरण किया जाना उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दत्तक पुत्र होना अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित भी नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–87 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर